उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट
14-अशोक मार्ग शक्ति भवन(वि०), लखनऊ, 226001

Secretary.cpftrust@uppcl.org www.uppst.org

**संख्या: I/9992/2025/47/सीपीएफट्रस्ट/निनि/2020 दिनांक: 30-04-2025**

**लेखाधिकारी (सी0पी0एफ0)**
**पूर्वांचल/मध्यांचल/पश्चिमांचल/दक्षिणांचल/केस्को,**
**विद्युत वितरण निगम लि0,**
**वाराणसी/लखनऊ/मेरठ/आगरा/कानपुर।**

**विषयः- सी0पी0एफ0 अंतिम भुगतान प्रकरणों के निस्तारण के सम्बन्ध में आवश्यक दिशा निर्देश।**

कृपया अवगत कराना है कि ट्रस्ट कार्यालय में प्राप्त होने वाले सी0पी0एफ0 अंतिम भुगतान मांगपत्रों की जांच करने पर विभिन्न त्रुटियाँ परिलक्षित होने के कारण उनके सुधार हेतु पत्राचार करने पर कार्मिक/दावेदार को अंतिम भुगतान धनराशि प्राप्त होने के अनावश्यक विलम्ब होता है। अतएव अंशदायी भविष्य निधि योजना से आवरित कार्मिकों के सी0पी0एफ0 अंतिम भुगतान प्रकरणों का निस्तारण करते समय निम्न् बिन्दुओं की जांच करने के पश्चात् ही प्राधिकार पत्र निर्गत कर मांगपत्र ट्रस्ट कार्यालय को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित् करें:-

1. कार्मिक के सी0पी0एफ0 खाता सं0 एवं सैप आई0डी0 की जांच करें।
2. कार्मिक के वेतन से की गई कटौती की प्रविष्टि उसकी लेखापर्ची में प्रदर्शित हो रही है अथवा नहीं, की जांच की जाए, जिस हेतु कार्मिक के वेतन पंजिका एवं सी0पी0एफ0 लेखापर्ची में प्रदर्शित अंशदान का मिलान अवश्य सुनिश्चित किया जाए।
3. कार्मिकों के वित्तीय वर्ष 2019-20 के अंतिम अवशेषों की जांच ई0आर0पी0 सैप के माध्यम से निर्गत लेखापर्ची से की जाए।
4. जिन कार्मिक की सैप आई0डी0 आंवटित नही है, उनकी 9 Series की वेन्डर आई0डी0 निर्गत कराते हुए कार्मिकों के सी0पी0एफ0 खाते का वित्तीय वर्ष 2019-20 का अंतिम अवशेष ई0आर0पी0 सैप पर प्रविष्टि कराने के उपरान्त ही अंतिम भुगतान प्रकरण निस्तारित किया जाए।
5. यदि किसी कार्मिक का वित्तीय वर्ष 2021-22 एवं उसके पश्चात् एक वित्तीय वर्ष में कर्मचारी अंशदान धनराशि रू0 2,50,000.00 (अग्रिम की वापसी को छोडकर) से अधिक है, तो उसका विवरण प्राधिकार पत्र में पृथक से अंकित किया जाए।
6. ट्रस्ट कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराये गये सी0पी0एफ0 अग्रिम के विवरण (यथा-टैली डेटा, Omninet Data, सी0पी0एफ0 अनुसूचियां, अन्य पत्रावलियां) से अंशदान/ अग्रिम का मिलान किया जाए।
7. ई0आर0पी0 प्रणाली लागू होने के पश्चात् खण्डीय कार्यालयों द्वारा भुगतान किये गये Manual एरियर, वेतन इत्यादि की अभिलेखों से जांच कर ली जाए एवं उनकी प्रविष्टि लेखापर्ची में कराने हेतु प्रकरण समस्त आवश्यक संलग्नकों सहित ट्रस्ट कार्यालय को प्रेषित किया जाए।
8. कार्मिक के मृत्यु/त्यागपत्र/सेवानिरस्त/सेवा समाप्ति के पश्चात् वेतन आदि के भुगतान नहीं किये गये है, की जांच की जाए, एवं निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0पा0का0लि0 के पत्र सं0-09 दिनांक-03.01.2025 के अनुपालन में यथा-आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।
9. कार्मिक के सी0पी0एफ0 खाते में उपलब्ध अवशेष पर सी0पी0एफ0 नियमावली, 2004 के अनुसार निर्धारित अवधि तक का ही ब्याज दिया गया है। इस सम्बन्ध में उ0प्र0 शासन स्तर से ब्याज सम्बन्धी आदेश निर्गत होने के तात्सम्य में ट्रस्ट कार्यालय स्तर से भी प्रत्येक तिमाही में आदेश निर्गत किया जायेगा, जिसका अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
10. कार्मिक द्वारा सेवाकाल में लिये गये समस्त अग्रिमों की प्रविष्टि लेखापर्ची में कर ली गई है की जांच की जाए।
11. ट्रस्ट कार्यालय स्तर से निर्गत कार्यालय ज्ञाप सं0 1008 दिनांक-11.09.2023, कार्यालय ज्ञाप सं0 743 दिनांक-10.05.2024 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य आदेशों/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित् किया जाए। उक्त के अतिरिक्त सी0पी0एफ0 खातों के अंतिमीकरण के सम्बन्ध में ट्रस्ट कार्यालय/पावर कारपोरेशन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित् किया जाए।

उक्त के दृष्टिगत आपसे अपेक्षा है कि सी0पी0एफ0 योजना से आवरित कार्मिकों के सी0पी0एफ0 खातों के सापेक्ष अंतिम भुगतान प्रकरणों का निस्तारण करते समय उक्त बिन्दुओं की गहनता से जांच कर ली जाए, अन्यथा आपके कार्यालय द्वारा प्रेषित मांगपत्र के सापेक्ष किसी भी कार्मिक/दावेदार को गलत भुगतान हो जाने की स्थिति में सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपके कार्यालय की होगी।

(अमित रंजन)
सचिव (ट्रस्ट)

**पत्र संख्याः /47/सीपीएफट्रस्ट/निनि/2020/तद्दिनाँकः-**
**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-**

1. निदेशक (वित्त), उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रां0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. निदेशक (का0प्र0 एवं प्रशा0), उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रां0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ
3. निदेशक (वित्त/का0 एवं प्रशा0), पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0/केस्को, वाराणसी/ लखनऊ/आगरा/मेरठ/कानपुर।
4. समस्त कार्मिक ट्रस्टीज़, उ0प्र0पा0का0लि0, अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट ।
5. उपमहाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा), उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रां0का0लि0, शक्ति भवन, लखनऊ
6. उपमहाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा),पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0/केस्को, वाराणसी/ लखनऊ/आगरा/मेरठ/कानपुर।
7. उपसचिव, उ0प्र0पा0का0लि0, अंशदायी भविष्य निधि ट्रस्ट ।
8. समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी, परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय (वितरण), पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0/केस्को, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/मेरठ/कानपुर।
9. अधिशासी अभियंता (वेब), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
10. समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी, उ0प्र0पा0का0लि0/उ0प्र0पा0ट्रां0का0लि0/पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0/केस्को, वाराणसी/लखनऊ/आगरा/ मेरठ/कानपुर।
11. लेखाधिकारी, परिक्षेत्रीय लेखा कार्यालय, पारेषण-मध्य/उत्तर-पूर्व/दक्षिण-पूर्व/पश्चिम/दक्षिण-मध्य/दक्षिण-पश्चिम, उ0प्र0पा0ट्रां0का0लि0, लखनऊ/गोरखपुर/प्रयागराज/मेरठ/झांसी/आगरा।
12. लेखाधिकारी (के0भु0प्र0),पूर्वांचल/मध्यांचल/दक्षिणांचल/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0/ केस्को, वाराणसी/ लखनऊ/आगरा/मेरठ/कानपुर।
13. लेखाधिकारी (सा0प्र0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, महानगर, लखनऊ।
14. लेखाधिकारी (मुख्यालय भुगतान/वेतन एवं लेखा/के0भु0प्र0), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0,शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
15. लेखाधिकारी, मुख्यालय भुगतान इकाई, उ0प्र0पा0ट्रां0का0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ
16. समस्त लेखाधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन अंशदायी भविश्य निधि ट्रस्ट, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ

(अमित रंजन)
सचिव (ट्रस्ट)